कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

:: संशोधित कार्य विभाजन आदेश ::

कमांक.....71...../सां.लि./एक–11–1/98 दुर्ग दिनांक–10/09/2024

मैं डॉ. प्रज्ञा पचौरी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़), सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 21(3) (4) द.प्र.सं. की धारा 10 (2)(3) /भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में इस हेतु जारी किये गये कार्य विभाजन संबंधी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुये सिविल जिला दुर्ग के समस्त न्यायालयों के लिए सिविल दावा प्रकरण, विशेष प्रकरण, सत्र प्रकरण व अन्य दांडिक प्रकरण तथा आवेदन पत्रों के संबंध में (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्य विभाजन के संबंध में किये गये आदेशों को छोड़कर) निम्नलिखित कार्य विभाजन आदेश जारी करती हूं:–

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक–10.09.2024 से प्रभावशील होगा, परंतु पूर्व से लंबित समस्त प्रकरणों को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र		प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4	5
1	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 3. वाणिज्यिक अपील न्यायालय (प्रधान जिला न्यायाधीश स्तर) 4. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अतिरिक्त प्रभार	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)	1	समस्त सत्र प्रकरण। (उन सत्र प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार अन्य विशेष न्यायालय को है।) समस्त आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध दांडिक कार्यवाहियॉं।
			2	धारा 408 एवं 409 दं.प्र.सं./ 448 एवं 449 भारतीय नाग0सु0सं0 के अंतर्गत आवेदन पत्रों की सुनवाई।
			3	दुर्ग जिले के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, जिसमें आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों को निरस्त किये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत किये जाने वाले जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005 के अंतर्गत सभी प्रकरण एवं उनसे उद्भूत मामलें। (छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क.–9742/3446/21–ब/2015 दिनांक–09.10.2015 सह. रजिस्ट्री पृष्ठांकन क. –8250/तीन–2–3/2015, दिनांक–15.10. 2015 द्वारा अधिसूचित)।

			5	थाना–राजस्व जिला दुर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी आरक्षी केन्द्र (दुर्ग, पदमनाभपुर, मोहन नगर, सुपेला, वैशालीनगर, छावनी, पुलगांव, धमधा, नंदनी, बोरी, भिलाई नगर, भिलाई भट्ठी, खुर्सीपार, नेवई, थाना–ए.जे.के., महिला थाना, अण्डा, उतई (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोडकर) जामुल, शासकीय रेल पुलिस भिलाई (चौकी दुर्ग एवं चरोदा), भिलाई–03, कुम्हारी, अमलेश्वर (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोडकर), से प्रस्तुत होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **धारा–306, 304 बी एवं 376 भा.द.सं./ 108, 80 एवं 64 भा0न्या0सं0 को छोड़कर ,जो दं.प्र.सं./ भारतीय नागरिक सुरक्षा सं0** की दी गई अनुसूचीं के अनुसार सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा, का प्रस्तुतीकरण। **1. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** **2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** **3. विद्युत अधिनियम, 2003 एवं** **4. चिल्ड्रन कोर्ट के क्षेत्राधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** एवं महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न **(बलात्कार के प्रकरण)** से संबंधित **जमानत आवेदन पत्र को छोड़कर)**
			6	**केन्द्रीय अधिनियमों, राज्य के अधिनियमों, अन्य नियमों एवं अधिनियमों** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले ऐसे समस्त दाण्डिक प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ जो सत्र न्यायालय में पेश किये जाने योग्य हो और जिसके संबंध में **इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो,** प्रस्तुत किये जावेंगे।
			7	सिविल जिला दुर्ग के सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्याकंन **एक करोड़ एक रूपये एवं इससे अधिक हो.**
			8	**आर्बिट्रेशन एन्ड कान्सिलिएशन एक्ट, 1996** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं Scheme for appointment of arbitrator by the Chief Justice के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधीपति द्वारा दिये गये अधिकारों के तहत् प्रकरण।
			9	**छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम, 1956, छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 20** एवं नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले **चुनाव याचिकाओं** एवं उससे संबंधित प्रकरणों का निराकरण।

			10	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग, पाटन एवं भिलाई–3 द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न नगर पालिका अधिनियम, 1961 के कमांक 370 की धारा 13 (5) एवं 172 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण।
			11	धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र।
			12	छ0ग0 नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
			13	पांच सौ एक रूपये से एक हजार रूपये तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण।
			14	केन्द्रीय अधिनियमों, राज्य के अधिनियमों, अन्य नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत होनें वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो प्रधान जिला न्यायालय या मूल अधिकारिता वाले जिले के प्रमुख न्यायालय में पेश किए जाने योग्य हों और जिनके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, वे प्रस्तुत किए जायेंगे।
			15	मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 30 के प्रकरणों की सुनवाई एवं विचारण। (छ.ग. शासन की अधिसूचना क्र.–1496/डी 329/21–ब/2008 दिनांक–18.02.2008)
			16	को–ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से संबंधित उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।
			17	पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 से उत्पन्न प्रकरण।
			18	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अधीन प्रस्तुत समस्त प्रकरण का निराकरण करना।
			19	ट्रेड एण्ड मर्चेन्टडाइज़ मार्क्स एक्ट 1958 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त प्रकरण का निराकरण करना।
			20	कम्पनी एक्ट से उत्पन्न प्रकरण जो कि जिला न्यायाधीश द्वारा विचारण योग्य हो।
			21	राज्य फाईनेन्शियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।
			22	लोक परिसर अधिनियम (पब्लिक प्रिमिसेस एक्ट) के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण करना।
			23	भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलों का निराकरण करना। (उन प्रकरणों को छोड़कर जिनका क्षेत्राधिकार अन्य न्यायालयों को प्रदान किया गया है।)
			24	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत प्रस्तुत व्यवहार व विविध प्रकरणों का निराकरण करना।

			25	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 से उत्पन्न समस्त प्रकरणों एवं अपीलें (उन प्रकरणों को छोड़कर जिनके संज्ञान के अधिकारिता **व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी** को प्रदान किये गये है।)
			26	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			27	Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Specific Relief Amendment Act, 2018, 2016) **की धारा 20 (बी) के अधीन दस लाख एक रूपये से अधिक** के वाद मूल्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की संविदा के संबंध में प्रस्तुत वाद का निराकरण करना। **(छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना कमांक–7782/2124/21–ब/सी.जी./2019, दिनांक–02.08.2019)**
			28	**औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940** (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के तहत् अपराधों के विचारण एवं उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अन्य अपराधों की सुनवाई। **(छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना कमांक–460/134/21–ब/2016,दिनांक–12.01.2016 सह रजिस्ट्री पृष्ठांकन क.–632/ दो–15–4 /2010, दिनांक–27.01.2016 द्वारा अधिसूचित)।**
			29	**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68** के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में होने वाले निराकरण से उद्भूत अपील की सुनवाई। **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की अधिसूचना कमांक–एफ–25–8/2011/नौ/55, दिनांक–09.10.2017)।**
			30	Rights of Persons with Disabilities Act, (No. of 49 of 2016) के तहत् घटित होने वाले अपराधों के विचारण हेतु सुनवाई। **(छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना पृष्ठांकन क. –10059/2991/21–ब/छ.ग./2018, दिनांक–06.10.2018 सह रजिस्ट्री पृष्ठांकन क. –10305/चेकर/तीन–6–4/2018, दिनांक–29.10.2018)।**
			31	**संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1956 की धारा–8 के तहत् प्रस्तुत होने वाले संपत्ति से संबंधित आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण।**
			32	**दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगॉव एवं कबीरधाम जिले से उत्पन्न होने वाले समस्त वाणिज्यिक अपीलें।**

			33	अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले **प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों** का निराकरण।

2	1. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 2. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	सत्र खण्ड दुर्ग		रिक्त न्यायालय
3	अपर सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट), दुर्ग	सत्र खण्ड दुर्ग	1	माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अधिसूचना कमांक 3618/ दो–15–2/2012 बिलासपुर दिनांक–09.05.2013 के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध (यौन उत्पीड़न) से संबंधित मामले की सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत आने वाले सत्र प्रकरण एवं इससे संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण, जो समय–समय पर सत्र न्यायालय द्वारा भेजे जायें।
			2	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			3	राजस्व जिला दुर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी आरक्षी केन्द्रों से भा.दं.सं. की धारा 306, 304 (बी), 376, 354/ भा0न्या0सं0की धारा 108, 80 , 64एवं 74 के तहत प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन पत्र का विधिवत् निराकरण करना। (जिसमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के साथ अनु.जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के प्रकरणों को छोड़कर)
			4	बालकों के विरूद्ध अपराध या बालक अधिकारों के अतिकमण के संबंध में प्रकरणों का निराकरण एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण। (छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना दिनांक– 30. 04.2013 के तहत बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005)
			5	किशोर न्यायबोर्ड, दुर्ग के आदेश से उत्पन्न (जिला दुर्ग के समस्त थानों से उद्भूत) समस्त दांडिक अपीलें अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015.
			6	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

4	1. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) 3. विशेष न्यायाधीश दुर्ग, (विद्युत अधिनियम, 2003)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	थाना मोहन नगर, थाना दुर्ग, थाना भिलाई–3, थाना भिलाई नगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0 न्याय सं0 तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से सबंधित भा0दं0संहिता/भा0न्याय सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0** जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	**रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक बी/2754/तीन–6–4/2003, दिनांक–16/04/2013** के प्रकाश में सत्र खण्ड, दुर्ग से उत्पन्न **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** के अन्तर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुषांगिक कार्यवाहियॉ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	**विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153, 154, 155** के अंतर्गत :– 1. सत्र खण्ड दुर्ग के समस्त थानों से प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण. 2. सिटी डिवीज़न दुर्ग द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रकरण. 3. प्रस्तुत होने वाले ओ.एण्ड एम. डिविजन दुर्ग के प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			5	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन को छोडकर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन **पचहत्तर लाख एक रू. से एक करोड़ रूपये** तक हो का निराकरण करना।
			6	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. मोहन नगर 2. दुर्ग 3. भिलाई–3 4. भिलाई नगर के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			7	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।

			8	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले **सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाहियां, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों** का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			10	**प्रथम/द्वितीय व्यव.न्याया. वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रथम व्यव.न्याया. वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम एवं द्वितीय अति. न्यायाधीश, दुर्ग** द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।
			11	**रिक्त, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश** के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के **विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों** का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम् न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
5	1. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश दुर्ग (विद्युत अधिनियम 2003)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	आरक्षी केन्द्र छावनी एवं आरक्षी केन्द्र नेवई से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0न्या0सं. तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से सबंधित भा0दं0 संहिता/ भा0न्या0सं. की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0** जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।

			3	विद्युत अधि0 2003 की धारा 153, 154, 155 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सिटी ईस्ट एवं वेस्ट भिलाई डिविज़न, के प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियॉ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण।
			4	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन को छोडकर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन **पचास लाख एक रूपये से पच्छहत्तर लाख रू.** तक हो का निराकरण करना।
			5	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र **1.छावनी 2. नेवई** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले **सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही एवं निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों** का निराकरण।
			8	**तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग** द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
	3. वाणिज्यिक न्यायालय (जिला न्यायाधीश स्तर) दुर्ग।		10	दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा जिले से उत्पन्न सभी वाणिज्यिक मामले, जिनका मूल्य दस लाख से पचास लाख रूपये तक हो, मध्यस्थम विवाद से संबंधित प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये, का निराकरण करना।
5अ	**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पाटन। श्रृंखला न्यायालय**	**तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन**	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।

			2	आरक्षी केन्द्र पाटन,रानीतराई,उतई (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र), अमलेश्वर (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र),जामगॉव (आर) से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./ भा0न्या0सं. तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से सबंधित भा0दं0संहिता / भा0न्या0सं. की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0** जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	उक्त उप सत्र खंड से उत्पन्न होने वाले **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** के उत्पन्न अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिवत् निराकरण।
			4	सिविल जिला दुर्ग के तहसील पाटन से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन **दस लाख से अधिक हो** का निराकरण करना।
			5	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. पाटन, 2.रानीतराई, 3.उतई (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र), 4. अमलेश्वर (तहसील पाटन से संबंधित क्षेत्र), 5.जामगॉव (आर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			7	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पाटन** द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण करना।
6	**1. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग** **2. विशेष न्यायाधीश दुर्ग (विद्युत अधिनियम 2003)** **3. श्रम न्यायाधीश, श्रम न्या0 दुर्ग**	**सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)**	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।

			2	आरक्षी केन्द्र पुलगांव एवं उसकी चौकी जेवरा सिरसा एवं चौकी अंजोरा, आरक्षी केन्द्र पद्मनाभपुर,आरक्षी केन्द्र अण्डा से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./भा0न्यायसं0.तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से सबंधित भां0दं0 संहिता/ भा0न्याय सं0. की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द. प्र.सं./482, 483 भा0ना0सु0स0,**जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	**विद्युत अधि0 2003 की धारा 153, 154, 155** के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले **ओ. एण्ड एम. डिवीज़न भिलाई** के प्रकरण व उससे संबंधित विविध एवं अनुषांगिक कार्यवाहियॉ एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण.
			4	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन चालीस **लाख एक रूपये से पचास लाख रू.** तक हो का निराकरण करना।
			5	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र **1. पुलगांव, 2. वैशाली नगर, 3 पद्मनाभपुर 4. अण्डा, 5. चौकी जेवरा सिरसा, 6. चौकी अंजोरा** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले **सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही एवं निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों** का निराकरण।
			8	**प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश** द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

7	1. चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य चतुर्थ अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) 3. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप. सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	महिला थाना सेक्टर 6 भिलाई, जामुल, नंदनी, शासकीय रेल्वे पुलिस (चौकी दुर्ग एवं चरौदा) से उत्पन्न समस्त आई.पी.सी./ भा0न्याय0सं.तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से सबंधित भा0दं0 संहिता/ भा0न्या0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानंत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द. प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0** जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर एवं आबकारी उपनिरीक्षक दुर्ग शहर (पूर्व) एवं दुर्ग शहर (पश्चिम) से **आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2)** के अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	**विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक–399/1382/XXI-B/C.G./2023 दिनांक–02.05.2024** के अनुसार सत्र खण्ड दुर्ग के **थाना दुर्ग, पदमनाभपुर, सुपेला, मोहन नगर, जामुल, खुर्सीपार, भिलाई–03, नेवई, छावनी, भिलाई नगर थाने** से उत्पन्न **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985** के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुशांगिक कार्यवाहियॉं एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण करना।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले **सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषंगिक कार्यवाहियों** का निराकरण।
			5	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन को छोडकर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन **तीस लाख एक रूपये से चालीस लाख रूपये** तक हो का निराकरण करना।
			6	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र **जामुल, नंदिनी, जी.आर.पी. (चरोदा एवं दुर्ग)** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			7	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।

			8	प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग, समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग (जिनका कार्य विभाजन आदेश में अन्य जगह उल्लेख न हो) एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय के समस्त अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलों का निराकरण।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
8	**पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग**	**सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)**	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	थाना कुम्हारी, भिलाई भटठी,वैशाली नगर, खुर्सीपार, से उत्पन्न **समस्त आई.पी.सी./ भा0न्या0सं0 तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2)** के अपराध से सबंधित, भा0दं0संहिता / भा0न्या0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0** जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर, का निराकरण करना।
			3	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन **बीस लाख एक रूपये से तीस लाख रूपये** तक हो का निराकरण करना।
			4	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. कुम्हारी 2. भिलाई भट्ठी 3.वैशाली नगर 4. खुर्सीपार के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			5	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			6	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी धमधा, दशम/एकादश/द्वादश/चतुर्दश/पंचदश/ षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग** के न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलो का निराकरण।

			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
9	1. षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य षष्ठम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।
			2	थाना अमलेश्वर (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोडकर) थाना उतई(तहसील पाटन के क्षेत्र को छोडकर) व उसकी चौकी मचांदूर से उत्पन्न **समस्त आई.पी.सी./भा0न्या0सं. तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2)** के अपराध से सबंधित भा0दं0संहितां /भा0न्या0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0** जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर का निराकरण करना एवं आबकारी उपनिरीक्षक दुर्ग आंतरिक, आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त 2 भिलाई ,आबकारी उपनिरीक्षक (उत्तर), **आबकारी उपनिरीक्षक (दक्षिण), आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त आंतरिक धमधा,** आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त 1 एवं 3 से आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोडकर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन **पन्द्रह लाख एक रूपये से बीस लाख रूपये** तक हो का निराकरण।
			4	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. अमलेश्वर (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोडकर) 2.उतई (तहसील पाटन के क्षेत्र को छोडकर) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			5	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			6	**पंचम्/षष्ठम्/सप्तम्/अष्टम्/नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग** द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त अपील एवं विविध अपीलो का निराकरण करना।

			7	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
			8	**रिक्त, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम/द्वादश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (एफ.टी.सी.) दुर्ग** के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम् न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
			9	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
10	1. सप्तम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य सप्तम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 2. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988)			**"रिक्त न्यायालय"**
11	1. अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा सदस्य अष्टम अतिरिक्त 2. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग 3. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग (स्वापक 3. औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985)	सिविल जिला दुर्ग एवं सत्र खण्ड दुर्ग (तहसील पाटन एवं उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर)	1	प्रकरण जो सत्र न्यायाधीश दुर्ग द्वारा समय–समय पर सौपें जायेंगे या अंतरित किये जायेंगे, का निराकरण करना।

			2	आरक्षी केन्द्र धमधा, आरक्षी केन्द्र बोरी एवं उसकी चौकी लिटिया, थाना सुपेला, थाना सुपेला की चौकी स्मृतिनगर से उत्पन्न **समस्त आई.पी.सी./ भा0न्या0सं0 तथा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2)** के अपराध से सबंधित भा0द0संहिता / भा0न्या0सं0 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्पन्न होने वाले ऐसे जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438, 439 द.प्र.सं. /482, 483 भा0ना0सु0स0** जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार इस कार्यवितरण आदेश के तहत अन्य न्यायालय को दिया गया है, को छोडकर, का निराकरण करना एवं आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त 4 भिलाई से आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों का विधिवत् निराकरण करना।
			3	**विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना कमांक–399/1382/XXI-B/C.G. /2023 दिनांक–02.05.2024** के अनुसार सत्र खण्ड दुर्ग के आरक्षी केंद्र भि0भटठी, जी0आर0पी0 भिलाई–3, जी0आर0पी0, दुर्ग , पाटन, उतई, जामगांव (आर), पुलगांव,, वैशाली नगर, महिला थाना, अंडा, नंदनी,अ.जा.क. से उत्पन्न एवं ऐसे आरक्षी केंद्र जिनका कार्यविभाजन में उल्लेख न हो, से संबंधित **स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985** के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण व उनसे संबंधित विविध व अनुशांगिक कार्यवाहियॉं एवं जमानत आवेदन पत्रों का निराकरण करना।
			4	सिविल जिला दुर्ग से उद्भूत(तहसीला पाटन को छोडकर) सभी प्रकार के सिविल प्रकरण, जिनका मूल्यांकन **दस लाख एक रूपये से पन्द्रह लाख रूपये** तक हो का निराकरण करना।
			5	**मोटरयान अधिनियम 1988** के अंतर्गत आरक्षी केन्द्र 1. धमधा 2. बोरी 3. सुपेला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न अथवा उक्त थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले आवेदक, अनावेदक के मोटर दुर्घटना दावा के समस्त मामले।
			6	उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलों का निराकरण करना।
			7	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3 के न्यायालय के प्रथम अति0 न्याया0, एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3** के न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय एवं डिक्री से उत्पन्न होने वाले समस्त नियमित एवं विविध व्यवहार अपीलो का निराकरण।

			8	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरण, सिविल अपील, विविध सिविल अपील, विविध कार्यवाही, निष्पादन प्रकरण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण।
			9	रिक्त नवम्, दशम् एवं एकादश जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग /रिक्त नवम्, दशम् एवं एकादश अतिरिक्त मो0दु0दा0 अधिकरण, दुर्ग के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम् न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
12	नवम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य नवम् अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग			"रिक्त न्यायालय"
13	दशम् अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य नवम् अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग			"रिक्त न्यायालय"
14	अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम फास्ट ट्रेक कोर्ट, पॉक्सो अधिनियम के प्रकरण के लिए			"रिक्त न्यायालय"
15	अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, द्वितीय पॉक्सो अधिनियम के प्रकरण के लिए			"रिक्त न्यायालय"
16	अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, तृतीय पॉक्सो अधिनियम के प्रकरण के लिए			"रिक्त न्यायालय"

17	अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, चतुर्थ पॉक्सो अधिनियम के प्रकरण के लिए	सत्र खण्ड दुर्ग (उप सत्र खण्ड पाटन को छोडकर) थाना दुर्ग, पदमनाभपुर, जामुल, खुर्सीपार, भिलाई–03, नेवई, छावनी, भिलाई नगर , उतई (तह0पाटन से संबंधित क्षेत्र को छोडकर) पुलगांव, धमधा, कुम्हारी, बोरी, अमलेश्वर (तह0पाटन से संबंधित क्षेत्र को छोडकर) थाना भिलाई भट्ठी, जी.आर. पी. भिलाई–03, जी.आर.पी. दुर्ग, सुपेला, वैशालीनगर, मोहन नगर, महिला थाना अण्डा, नंदनी, अ.जा.क.	1	उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** के उत्पन्न अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र का प्रस्तुतीकरण एवं विधिवत् निराकरण।
			2	माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन (कि.) क.–540/2020 रामस्वरूप राजवाड़े वि0 स्टेट ऑफ सी.जी. के आदेश दिनांक–10.12.2020 एवं Misc. Civil Case No.-138/2021 छ.ग. शासन वगै0 वि0 रामस्वरूप राजवाड़े में पारित आदेश दिनांक–07.06.2021 के अनुसार उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न ऐसे अभियोग पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र **अंतर्गत धारा 438 व 439दं.प्र.सं./ 482, 483 भा0ना0सु0स0** की प्रस्तुतियॉं व विधिवत् निराकरण जिसमें आरोपी पर अनु. जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण), 1989 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 दोनो का आरोप है।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	**रिक्त, अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) दुर्ग** के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य संपादित करना तथा उनके निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं माननीय उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम् न्यायालय से प्रत्यावर्तित किये गए प्रकरण एवं आदेश का पालन करना।
18	1. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के प्रथम अति. न्यायाधीश एवं सदस्य प्रथम अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अतिरिक्त अधिकरण दुर्ग (छ.ग.) 2. विशेष न्यायाधीश दुर्ग (विद्युत अधिनियम 2003)			"रिक्त न्यायालय"

19	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)			"रिक्त न्यायालय"
20	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **नौ लाख पचास हजार एक रूपये से दस लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			2	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			3	सिविल जिला दुर्ग में स्थापित, लेकिन न्यायाधीश का स्थानान्तरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले **सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों** का निराकरण करना।
			5	**छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 139 एवं 178** के अतंर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले।
			6	अन्य नियम एवं अधिनियम के अतंर्गत **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग** के न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरण एवं आवेदनों का निराकरण करना।
			7	**लघुवाद प्रकरण, जिनका मूल्यांकन एक रूपये से पांच सौ रूपये तक** हो, का निराकरण करना।
			8	**विधि एवं विधायी कार्यविभाग नया रायपुर की अधिसूचना कमांक–7782/2124/21 –ब/सी.जी./2019, दिनांक–02.08.2019** के अनुसार अधीनस्थ न्यायिक सेवा के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी की हैसियत से **विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का (47) और विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधित) अधिनियम 2018** के अंतर्गत **एक रूपये से दस लाख रूपये** तक के वाद मूल्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की संविदा के संबंध में प्रस्तुत वाद का निराकरण करना।

21	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **नौ लाख एक रूपये से नौ लाख पचास हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **आठ लाख पचास हजार एक रूपये से नौ लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
23	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **आठ लाख एक रूपये से आठ लाख पचास हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

24	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **सात लाख पचास हजार एक रूपये से आठ लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
25	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग 2. वाणिज्यिक न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी,धमधा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	सिविल जिला दुर्ग की तहसील धमधा से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्याकन **पांच लाख एक रूपये से दस लाख रू.** तक हो, का निराकरण करना।
			3	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अतंर्गत **तहसील धमधा** से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			6	दुर्ग जिले के सभी वाणिज्यिक मामले, जिनका मूल्य तीन लाख से दस लाख रूपये तक हो, जिसमें मध्यस्थम प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं, का निराकरण करना।
26	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग 2. वाणिज्यिक न्यायालय (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग,बोरी	1	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **सात लाख एक रूपये से सात लाख पचास हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			2	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।

			3	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अतंर्गत **तहसील दुर्ग** से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			6	बालोद एवं बेमेतरा जिले के सभी वाणिज्यिक मामले, जिनका मूल्य तीन लाख से दस लाख रूपये तक हो, जिसमें मध्यस्थम प्रकरण सम्मिलित नहीं हैं, का निराकरण करना।
27	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग**	**सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी**	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **छः लाख एक रूपये से सात लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
28	**पंचम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग**	**सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी**	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **पांच लाख एक रूपये से छः लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।

			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
29	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **पचास हजार एक रूपये से साठ हजार रूपये** तक हो; का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
30	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **साठ हजार एक रूपये से सत्तर हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
31	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			"रिक्त न्यायालय"
32	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

			3	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक रूपये से पचास हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			4	उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
33	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग**	**सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी**	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **सत्तर हजार एक रूपये से एक लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			4	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
34	**पंचम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग**	**सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी**	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक लाख एक रूपये से एक लाख पचास हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			4	सिविल जिला दुर्ग में स्थापित, लेकिन न्यायाधीश का स्थानान्तरण हो जाने अथवा पदस्थापना न होने के कारण **रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी** के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य करना।
			5	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

35	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक लाख पचास हजार एक रूपये से दो लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			4	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
36	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **दो लाख एक रूपये से दो लाख पचास हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			2	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
37	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			3	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
38	नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			"रिक्त न्यायालय"

39	दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **दो लाख पचास हजार एक रूपये से तीन लाख पचास हजार रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			4	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
40	एकादश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			"रिक्त न्यायालय"
41	द्वादश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			"रिक्त न्यायालय"
42	त्रयोदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।			"रिक्त न्यायालय"
43	चतुर्दश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग			"रिक्त न्यायालय"
44	पंचदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **तीन लाख पचास हजार एक रूपये से चार लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			4	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।

45	षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	सिविल जिला दुर्ग की तहसील दुर्ग, बोरी	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3	उक्त तहसीलों से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **चार लाख एक रूपये से पॉच लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			4	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियों का निराकरण करना।
46	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश			"रिक्त न्यायालय"
47	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के पंचम् अतिरिक्त न्यायाधीश			"रिक्त न्यायालय"
48	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3	सिविल जिला दुर्ग की तहसील भिलाई–3, अहिवारा		"रिक्त न्यायालय"
49	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3	सिविल जिला दुर्ग की तहसील भिलाई–3, अहिवारा		"रिक्त न्यायालय"
50	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3 के न्यायालय के प्रथम अति0 न्यायाधीश	सिविल जिला दुर्ग की तहसील भिलाई–3, अहिवारा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक रूपये से दस लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरणों एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।

			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों का तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	**रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3 के न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत** होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना एवं उक्त रिक्त न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।
			6	अन्य नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत **व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–3** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण करना।
			7	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10 के अंतर्गत **तहसील भिलाई–3 एवं अहिवारा** से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			8	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक रूपये से पॉच सौ रूपये तक** हो, का निराकरण करना।
51	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पाटन**	**तहसील पाटन (तहसील भिलाई–3, अहिवारा को छोड़कर)**	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक रूपये से दस लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन पकरणों एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पाटन** के न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के संबंध में प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के विविध प्रकरण, आवेदन पत्र, निष्पादन प्रकरणों का निराकरण करना एवं अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित प्रकरणों का निराकरण करना।
			5	अन्य नियम एवं अधिनियम के अंतर्गत **व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ श्रेणी, पाटन** के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनके न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरणों एवं आवेदनों का निराकरण करना।
			6	**भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग–10** के अंतर्गत **तहसील पाटन (तहसील भिलाई–3, अहिवारा को छोड़कर)** से उत्पन्न सभी प्रकरणों का निराकरण करना।
			7	लघुवाद प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक रूपये से पॉच सौ रूपये तक** हो, का निराकरण करना।

			8	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों की तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।
52	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, धमधा	तहसील धमधा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा समय–समय पर भेजे जाने वाले सिविल प्रकरणों का निराकरण करना एवं उनसे उद्भूत निष्पादन प्रकरणों, विविध प्रकरणों एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों का निराकरण करना।
			2	उक्त तहसील से उद्भूत सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन **एक रूपये से पांच लाख रूपये** तक हो, का निराकरण करना।
			3	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले निष्पादन प्रकरणों एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
			4	माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित प्रकरणों का तथा उनसे संबंधित अनुशांगिक प्रकरणों का निराकरण करना।

नोटः– 01. शंकाओं के निराकरण के लिए यह भी आदेशित किया जाता है कि जमानत आवेदन उक्त आदेशानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे और उसका विधिवत् पंजीयन संबंधित न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा और निराकरण के बाद संबंधित न्यायालय द्वारा ही विधिवत् अरेंज कर अभिलेखागार में जमा किया जावेगा।

02. जिस न्यायालय द्वारा प्रथम जमानत आवेदन–पत्र का निराकरण किया गया है। उसी अपराध से संबंधित द्वितीय, पश्चात्वर्ती जमानत आवेदन–पत्र या सह–आरोपी के जमानत आवेदन–पत्र उसी न्यायालय में सीधे प्रस्तुत एवं निराकृत किये जायेंगे।

03. मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत कम मात्रा (Small Quantity) के मादक पदार्थ से संबंधित अपराध के जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत एवं निराकृत होंगे, जिस न्यायालय को कार्यविभाजन आदेश के अनुसार उक्त आरक्षी केन्द्र आबंटित किया गया है।

(डॉ0 प्रज्ञा पचौरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छ.ग.)

–: कार्य विभाजन आदेश :–

कमांक क/सां.लि./एक–11–1/98 दुर्ग, दिनांक–...../09/2024

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 10 (3)/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–8 **तथा व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1956 की धारा 13 एवं धारा 21 (4)** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न तालिका के खण्ड कमांक–2 में दर्शित **न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति व न्यायालय रिक्त** होने की दशा में **(ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश की अनुपस्थिति सम्मिलित करते हुये)** खण्ड कमांक–3 में दर्शित न्यायालय के न्यायाधीश को खण्ड कमांक–2 में दर्शित न्यायालय का आवश्यक सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य का संपादन करने हेतु अधिकृत किया जाता है, जिसमें अस्थायी निशेधाज्ञा, जमानत आवेदन व अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य भी सम्मिलित हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य **परिशिष्ट–ए** एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य **परिशिष्ट–बी**, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के न्यायालय के अत्यावश्यक कार्य **परिशिष्ट–सी** के अनुसार संपादित किये जायेंगे।

परिशिष्ट–ए

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हेतु

क्र.	न्यायालय का नाम	आवश्यक कार्य हेतु अधिकृत न्यायालय
1	2	3
1.	**प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग**	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
2.	**अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग**	अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
3.	**अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय(पॉक्सो) दुर्ग**	अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट, दुर्ग एवं इनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।

4	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. छत्तीसगढ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पृष्ठांकन कमांक 6435/डी. 2812/21 ब, रायपुर दिनांक 07.12.2001 के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों की सुनवाई हेतु अधिकृत विशेष न्यायाधीश, दुर्ग की अनुपस्थिति में:– चतुर्थ/षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग। 2. विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) दुर्ग के मामले प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में :– तृतीय /द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग। 3. शेष अन्य मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम के मामले को छोड़कर) :– तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
5	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) दुर्ग के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में :– प्रथम/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग। 2. शेष अन्य मामले (विद्युत अधिनियम के मामले को छोड़कर) :– तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
6	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , दुर्ग	विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम 2003) दुर्ग के मामले में **तृतीय** अपर सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में :– द्वितीय/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग। शेष अन्य मामले (विद्युत अधिनियम मामले को छोड़कर) :– चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।

7.	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. विशेष प्रकरण (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग के प्रकरणों की सुनवाई हेतु चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में :– षष्ठम/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग। 2. शेष अन्य मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले को छोड़कर):– षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग। 3. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रकरण चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनु0 में, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं इन सबकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
08	पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
09	षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1. विशेष प्रकरण (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) दुर्ग के प्रकरणों की सुनवाई हेतु षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में :– प्रथम/चतुर्थ् अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग। शेष अन्य मामले (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामले को छोड़कर):–षष्ठम् जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में :– अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
10	अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग	1 षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग। 2 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी प्रदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रकरण अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की अनुपस्थिति में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग एवं उनकी अनु0 में, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं इन सबकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
11	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,पाटन श्रृंखला न्यायालय	1 तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।

परिशिष्ट बी

1	2	3
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के प्रथम अति0न्यायाधीश।	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के द्वितीय अति0न्यायाधीश।	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
4	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के तृतीय अति0न्यायाधीश।	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के चतुर्थ अति0न्यायाधीश।	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।

7	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
8	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
9	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में क्रमशः व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया./ व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
10	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–03 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में व्य0न्याया0 वरिष्ठ श्रेणी पाटन ।
11	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, पाटन	प्रथम व्य0न्या0 वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अति0न्यायाधीश एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं उनकी अनुपस्थिति में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी भिलाई–03 के प्रथम अति0 न्याया.।

परिशिष्ट सी

1	2	3
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में कमशः तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम्/अष्टम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
2	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में कमशः प्रथम/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम्/अष्टम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।

3	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/पंचम/षष्ठम/सप्तम्/अष्टम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
4	पंचम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम/सप्तम्/अष्टम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
5	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम्/अष्टम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
6	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/अष्टम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
7	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
8	दशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
9	पंचदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/दशम/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
10	षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/दशम/पंचदश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी,दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ।	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/दशम/पंचदश/षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
12	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, धमधा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं इसकी अनुपस्थिति में क्रमशः प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम/दशम/पंचदश/ षोडश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।

नोटः परिशिष्ट "बी" एवं "सी" के खंड कमांक–3 में उल्लेखित सभी न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित हैं तो आवश्यक कार्य उपस्थित वरिष्ठ व्य0न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं कनिष्ठ श्रेणी द्वारा देखा जावेगा।

नोटः–

01. माननीय उच्च न्यायालय,छत्तीसगढ के ज्ञापन कमांक 14754, दिनांक 8/11/2023 एवं शुद्धि पत्र कमांक 15250, दिनांक 23/11/2023 एवं ज्ञापन क0 15520 ,बिलासपुर, दिनांक 29/11/2023 के परिपालन में अत्यावश्यक कार्य के परिशिष्ट–ए, बी एवं सी में खंड कमांक–2 के लिये खंड कमांक–3 के न्यायाधीश को लिंक न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लिंक न्यायाधीश, अवकाश/अनुपस्थित रहने वाले न्यायाधीश के न्यायालय में उस दिन उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य, यदि संभव हो तो, अभिलिखित करेंगे, यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो, उस साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद करेंगे तथा अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने (ज्वाईन करने) की तिथि से, तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे। लिंक न्यायाधीश, अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के सभी सिविल एवं दांडिक प्रकरणों को देखेंगे तथा उनकी सुनवाई संभव न होने पर अवकाश पर रहने वाले न्यायाधीश के कार्य पर वापस आने की तिथि से, तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देंगे तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नही दिया जावेगा।

02. पीठासीन अधिकारी के दीर्घावकाश (ग्रीष्मकॉलीन एवं शीतकॉलीन अवकाश)में होने पर उनके न्यायालय में लंबित एक्शन प्लान के प्रकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई अन्य पीठासीन अधिकारी/नियुक्त लिंक ऑफिसर के द्वारा की जावेगी।

(डॉ0 प्रज्ञा पचौरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ0ग0)

पृष्ठांकन क3255/सां.लि./एक–11–1/98, दुर्ग दिनांक–10/06/2024

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय पोर्ट फोलियो जज, उच्च न्यायालय छ0ग0, बिलासपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
3. विशेष न्यायाधीश (अ.ज./अ.ज.जा.अत्या.नि.अधि.), दुर्ग।
4. अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), दुर्ग।
5. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
6. द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
7. तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/श्रम न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, दुर्ग।
8. चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
9. पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
10. षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।
11. अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।

12. अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ एफ.टी.सी. विशेष न्यायालय दुर्ग।
13. प्रथम व्यव.न्या. वरिष्ठ श्रेणी/मुख्य न्यायिक मजि0 दुर्ग।
14. प्रथम व्यव.न्या. वरिष्ठ श्रेणी के प्रथम अति.न्याया./प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्यायबोर्ड, दुर्ग।
15. प्रथम व्यव.न्या. वरिष्ठ श्रेणी के द्वितीय अति0 न्यायाधीश, दुर्ग।
16. प्रथम व्यव.न्या. वरिष्ठ श्रेणी के तृतीय अति0 न्यायाधीश, दुर्ग।
17. प्रथम व्यव.न्या. वरिष्ठ श्रेणी के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश, दुर्ग।
18. तृतीय व्यव. न्याया. वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
19. चतुर्थ व्यव. न्याया. वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
20. पंचम व्यव. न्याया. वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
21. प्रथम व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
22. द्वितीय व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
23. तृतीय व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
24. चतुर्थ व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी दुर्ग।
25. पंचम् व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
26. षष्ठम् व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
27. सप्तम् व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
28. अष्टम् व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
29. नवम् व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
30. दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
31. एकादश व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
32. द्वादश व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
33. चतुर्दश व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
34. पंचदश व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
35. षोडश व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग।
36. प्रथम व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश।
37. व्यव.न्याया. वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–03 जिला दुर्ग।
38. प्रथम व्यव.न्याया. वरिष्ठ श्रेणी, भिलाई–03 के न्यायालय के प्रथम अति.न्याया.।
39. व्यव.न्याया. वरिष्ठ श्रेणी, पाटन जिला–दुर्ग।
40. व्यव.न्याया. कनिष्ठ श्रेणी, धमधा जिला–दुर्ग।
41. कलेक्टर, दुर्ग।
42. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग।
43. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ दुर्ग/भिलाई–3/पाटन/धमधा।
44. शासकीय अभिभाषक, दुर्ग।
45. जिला अभियोजन अधिकारी, दुर्ग।
46. प्रशासनिक अधिकारी/न्यायालय उपाधिक्षक, दुर्ग।
47. प्रस्तुतकार न्यायालय, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ0 प्रज्ञा पचौरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ0ग0)